(3)

कार्यालय प्रभारी अधिकारी प्रशासन/सदस्य चयन समिति, सिविल कोर्ट, औरैया।

सेवा में,

श्री दिवाकर कुमार,
सिविल जज, सी०डि०/सदस्य चयन समितिस,
सिविल कोर्ट, औरैया।

महोदय,

आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा दिनांक 25.07.2022 को चयन समिति के सदस्य के रूप में कुल 13 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नत किये जाने की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया है, जिसके सम्बन्ध में मैंने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को एक पत्र के द्वारा सूचित किया है कि पूर्णतया, अवैधानिक, अनियमित आदेश है, जिसका प्रेक्षण करने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अधोहस्ताक्षरी के पास भेजकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आप कृपया निम्न बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें–

01. क्या दिनांक 25.07.2022 को चयन समिति की बैठक के लिए आपको लिखित सूचना प्राप्त हुई थी ?

02. आपने यह रिपोर्ट स्वयं पढ़ा था और उस पर हस्ताक्षर किये हैं ?

03. क्या 10 कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने केवल दो वर्ष आठ माह की सेवा पूर्ण किया था, उनकी प्रोन्नति के लिए उनकी चरित्र पंजिका, सेवा पुस्तिका और जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया है ?

04 क्या आप उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल, 2013 नियमावली के बारे में जानते हैं?

05. क्या आपने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल, 2013 नियमावली के नियम 2 उपखण्ड 1 और नियम 2 उपखण्ड 6 का अध्ययन किया है ?

06. क्या आपने उत्तर प्रदेश कोर्ट रूल 2013 के अध्याय 3 नियम 5 के उपखण्ड 2 को पढ़ा है ?

07. क्या आपने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 की अनुसूची ब का कभी अवलोकन किया है ?

08. क्या आपने नियम शिथलीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या वे०अ०–2–44/10–54 (m) 2008 टी०सी० दिनांकित 17 जनवरी, 2014 का अवलोकन किया था ?

24.1.2023

09. क्या आपको इस तथ्य की जानकारी थी कि अर्हता सेवा के शिथलीकरण को अनुमोदन माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त करना आज्ञापक है ?

10. क्या आपने माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक समिति के संकल्प पत्र संख्या 5345 दिनांकित 09.08.2019 का अवलोकन किया है ?

11. क्या आपने माननीय उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के संकल्प दिनांकित 05.01.2019 का अवलोकन किया है ?

12. आपके द्वारा उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल का नियम 2 उपखण्ड 6 में गठित चयन समिति कोरम के बिना आपने हस्ताक्षर किया है। क्या प्रोन्नति ऐसी आकस्मिक आवश्यकता थी, जिसको सदस्य के अनुपस्थित रहने पर तात्कालिक तौर पर कर दिया जाए ?

आपके द्वारा उपरोक्त नियमावली और शासनादेशों और माननीय उच्च न्यायालय के संकल्प का अतिक्रमण करते हुए इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया गया है। अतः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को रिपोर्ट भेजने के लिए इन बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.01.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराएं।

24.1.23

दिनांक 24.01.2023

(पी.एन. श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी प्रशासन/
सदस्य चयन समिति, सिविल कोर्ट,
औरैया।